भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3201**
**11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न**

**मध्य प्रदेश में पीडीएस**

**3201. श्रीमती संध्या राय:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के भिण्ड-दतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत पंजीकुत लाभार्थियों की ग्राम/पंचायत और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) इन पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इस निर्वाचन क्षेत्र में खाद्यान्न राजसहायता और वितरण पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;
(ग) इन लाभार्थियों को कितनी मात्रा में खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरित किया गया;
(घ) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है कि डुप्लीकेट/जाली राशन कार्डों को समाप्त करके केवल पात्र लाभार्थियों को ही लाभ प्राप्त हो; और
(ड.) यदि हां, तो इसके परिणाम और समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**
**(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)**

**(क):** मध्य प्रदेश के भिंड-दतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

**(ख):** खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उन राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करता है, जिन्होंने भारत सरकार द्वारा किए गए आवंटन के अनुसार केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण के लिए विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) पद्धति (मध्य प्रदेश सहित) का विकल्प चुना है। राज्य को सम्पूर्ण रूप से निधि जारी की जाती है, जिलेवार नहीं। आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) जिस पर राज्यों को खाद्यान्न जारी किए जाते हैं, के बीच का अंतर, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति किया जाता है। डीसीपी राज्यों और एफसीआई को जारी की जाने वाली खाद्य सब्सिडी वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार की जाती है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यवार निधि आबंटित नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा केंद्रीय पूल के लिए राज्यों द्वारा सुपुर्द की गई खाद्यान्न की मात्रा के संबंध में भी राज्यों को निधि जारी की जाती है। दो खाद्य सब्सिडी योजनाओं (एफसीआई को खाद्य सब्सिडी और डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी) को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना (पीएमजीकेएवाई) के रूप में शामिल किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 से आज तक खाद्य सब्सिडी के रूप में मध्य प्रदेश सरकार को जारी की गई निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

...2/-

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में) |
|---|---|---|
| 1. | 2020-21 | 11946.44 |
| 2. | 2021-22 | 14420.62 |
| 3. | 2022-23 | 9471.50 |
| 4. | 2023-24 | 16939.27 |
| 5. | 2024-25 | 10189.04 |
| 6. | 2025-26 (दिनांक 05.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार) | 9014.01 |

**(ग):** मध्य प्रदेश के भिंड-दतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को वितरित खाद्यान्न (गेहूं/चावल) की मात्रा दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-II** में है।

**(घ) और (ङ):** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के प्रचालन में प्रौद्योगिकी के उपयोग अर्थात राशन कार्ड/लाभार्थी डेटाबेस का डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया, डुप्लीकेट कार्डों की पहचान, अपात्र रिकॉर्ड, मृत्यु, लाभार्थियों का स्थायी प्रवास आदि के परिणामस्वरूप, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वर्ष 2021 से 2025 के बीच लगभग 2.25 करोड़ राशन कार्डों को रद्द करने में सक्षम हुए हैं ताकि यथोचित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

इस प्रक्रिया के तहत लगभग 8.51 करोड़ लाभार्थियों (वर्ष 2024 से 2025 तक) को चिह्नित किया गया और इन चिह्नित लाभार्थियों की सूची संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की गई ताकि वे जमीनी स्तर पर सत्यापन कर सकें और इन मामलों में आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई कर सकें। अब तक, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उपरोक्त चिह्नित लाभार्थियों में से 2.21 करोड़ लाभार्थियों को सूची से हटा दिया है, जिससे प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्र लाभार्थियों के लिए जगह बन गई है। इसके अलावा, लगभग 99.8% अर्थात देश में कुल 5.51 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से 5.50 लाख में सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न के पारदर्शी वितरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरण चालू हैं।

*****

अनुबंध-I

**लोक सभा में दिनांक 11.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3201 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध**

**मध्य प्रदेश के भिंड-दतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण**

| वर्ष | जिला | लाभार्थी संख्या |
|---|---|---|
| 2023 | भिंड | 9,36,289 |
| | दतिया | 5,17,834 |
| 2024 | भिंड | 10,12,334 |
| | दतिया | 5,69,024 |
| 2025 | भिंड | 9,23,311 |
| | दतिया | 5,57,220 |
| 2026 | भिंड | 9,28,731 |
| | दतिया | 5,64,094 |

*****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 11.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3201 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

मध्य प्रदेश के भिंड-दतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को वितरित खाद्यान्न (गेहूं/चावल) की मात्रा दर्शाने वाला विवरण

| वर्ष | जिला | वितरण (टन) |
|---|---|---|
| 2023 | भिंड | 56,601.65 |
| | दतिया | 31,055.73 |
| 2024 | भिंड | 55,408.32 |
| | दतिया | 31,497.24 |
| 2025 | भिंड | 52,452.16 |
| | दतिया | 31,164.83 |
| 2026 | भिंड | 8,446.65 |
| | दतिया | 5,224.65 |

*****